न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 303/2017 जीसीएमस नंबर 2017/00165

1. रामपाल
2. श्रवण
3. हनुमान सहाय
4. दामोदर प्रसाद पुत्रान स्व. बिरदा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम खानावाली ढाणी, तन मोरीजा, तहसील चौमूं जिला, जयपुर ।

—अपीलाट्स

बनाम

1. नानूराम
2. जगदीश
3. मोहन
4. रामू
5. श्री किशन समस्त पुत्रान स्व. डूंगा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
6. श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व. राधेश्याम पुत्र स्व. डूंगा ।
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. राधेश्याम पौत्र स्व. डूंगा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
8. मन्जू देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पोत्री स्व. डूंगा पत्नी मालीराम उर्फ महेन्द्र, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ढाणी श्यामका वाली, तन ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. विमला देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पौत्री स्व. डूंगा पत्नी सुरेश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी श्यामका वाली, तन ग्राम लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
10. कमला देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पौत्री स्व. डूंगा पत्नी सुरेन्द्र, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. ग्यारसी देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पोत्री डूंगा पत्नी मोहन, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
12. चौथू पुत्र काना, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर) मु.सं. 05/2003 आदेश दिनांक 10.06.2017 के विरूद्ध

उपस्थित–

1. श्री रामचन्द्र शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेसपोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–12.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 10.06.2017 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू दिनांक 10.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पोडेण्ट्स की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी के गत खसरा नं. 364 व 365 के दक्षिण में रास्ता आम है। जिसका ख.नं. 366 है। इस रास्ता के दक्षिण में ख.नं. 367 स्थित है। जिसके खातेदार विपक्षीगण स्व. डूंगा अब उसके कायम मुकामान विपक्षीगण नं. 1 लगायत 11 व चौथू है प्रार्थी के गत खसरा नं. 364 व 365 के हाल ख.नं. 592 बना है। प्रार्थी के गत ख.नं. 364 व 365 के दक्षिण में स्थित आम रास्ता ख.नं. 366 की भूमि तथा विपक्षी के खातेदारी के ख.नं. 367 में से 19 एयर भूमि पक्की सडक में चली गई है। जिसका मुआवजा उक्त विपक्षीगण ने प्राप्त किया है। इस सड़क का वर्तमान में ख.नं. 593 है परन्तु वर्तमान में जो फाईनल नक्शा तैयार किया गया है उसमें सड़क हाल ख.नं. 593 के उत्तर में रास्ता की भूमि को प्रार्थी अपीलान्ट्स की हाल ख. नं. 592 में दिखा दिया गया है और हाल ख.नं. 592/4980 रकबा 1 एयर, 596/4933 रकबा 2 एयर को विपक्षी की खातेदारी में बता दिया गया है। इस प्रकार फाईनल नया नक्शा के गलत बनने से अपीलान्ट्स का 15 एयर रकबा कम हो जाता है। प्रार्थीगण अपीलान्ट्स ने मौजूदा फाईनल नक्शा का मौका, कब्जा और रिकार्ड ऑफ राइट्स के अनुसार ठीक करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे. एक्ट तत्कालीन मान्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो आदेश दिनांक 25.10.1999 द्वारा निरस्त फरमा दिया गया। जिसकी अपील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2002 के द्वारा अपील स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आदेश 25.10.1999 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चौमूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में रकबा बराबरी कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करें । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय की अवेहलना कर तहसीलदार चौमू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.08.1999 पर कोई विचार व गौर न कर मनमाना प्रार्थना पत्र खारिज करने का निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलन्ट्स स्वीकार कर फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक

10.06.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं को रिमण्ड फरमाया जावें कि प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में रकबा बरारी कर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू ने विधिवत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत् राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है। अगर किसी पक्षकार का रकबा कम या ज्यादा हो रहा है तो वह भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद दौराने सेटलमेण्ट राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को लेकर है। प्रार्थी द्वारा भूमि कम अंकित होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.1999 को खारिज फरमा दिया जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के होने पर न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.1999 को खारिज कर रकबा बराबरी कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 24.10.2002 को दिये गये। जिस पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 10.06.2017 को दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है। अगर किसी पक्षकार का रकबा कम या ज्यादा हो रहा है तो वह भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधित नहीं है। इसके लिए पक्षकार नियमित वाद अंतर्गत धारा 88, 89 के तहत् सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। इसमे किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 10.06.2017 यथावत रखा जाता है तथा राजस्व नक्शे में रही त्रुटि के लिए पक्षकार नियमित वाद अंतर्गत धारा 88, 89 के तहत् सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर